न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 04 / 2020

असगर उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत गढ़ अजान तहसील कामां जिला भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 07.02.2020 वमुकदमा सरकार बनाम असगर संख्या 54 / 2019 अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 23.09.2020**

अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 07.02.2020 इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपीलांट को तहत न्यायालय द्वारा आज्ञा पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया । अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.01.2020 को अपीलान्ट को सुनवाई के लिए 19.02.2020 तारीख पेशी दी गई थी जो बाद में बदलकर 07.02.2020 करते हुए दिनांक 07.02.2020 को ही निर्णय पारित कर दिया । यह समस्त कार्यवाही राजनीतिक दबाव में की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है ।

अपीलान्ट पर राशन सामग्री के दुरूपयोग अथवा उपभोक्ताओं को राशन नहीं देने बावत कोई आरोप नहीं है । जिला रसद अधिकारी का यह कथन कि अपीलान्ट स्वयं दुकान का संचालन नहीं करता व तारीख पेशी पर अन्य व्यक्ति आता है, रिकार्ड व मौके के विपरीत है । अपीलान्ट तारीख पेशियों पर स्वयं उपस्थित होता है जिसकी पुष्टि तहत पत्रावली के रिकार्ड से होती है । दुकान का संचालन भी अपीलान्ट द्वारा ही किया जाता है । वक्त निरीक्षण मौके पर दुकान के बाहर मूल्य व स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित था और वर्तमान में भी प्रदर्शित है । मौके पर अपीलान्ट से किसी जांच अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र व दुकान का नक्शा नहीं मांगा । समस्त कार्यवाही राजनीतिक दबाव में एकतरफा में गलत प्रकार से की गई है ,जो काबिल निरस्तनीय है । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने तथा तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 07.02.2020 को निरस्त कर प्राधिकार बहाल करने की प्रार्थना की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

——2

जिला कलक्टर,
भरतपुर (राज०)

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलांट पर तहत न्यायालय द्वारा जो आरोप लगाये गए हैं उनमें अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बड़ी अनियमितता कारित करने से संबंधित नहीं है। अभिभाषक अपीलांट ने यह भी निवेदन करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहा है । तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2020 को अपीलान्ट को अगली सुनवाई हेतु 19.02.2020 तारीख पेशी दी गई थी, जिसमें काट छांट कर दिनांक 07.02.2020 करते हुए उसी दिन निर्णय पारित कर दिया, जो किसी भी तरह से वैधानिक न होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। दुकान का संचालन अपीलान्ट द्वारा ही किया जाता है । वक्त निरीक्षण मूल्य व स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित था । अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार की राशन वितरण में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है और न अपीलांट के विरूद्ध राशन वितरण से संबंधित किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया है कि उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध उपभोक्तओं की शिकायत प्राप्त होने पर मौके पर जाकर जांच की गई । वर्तमान में अपीलान्ट डीलर द्वारा उचित मुल्य दुकान का स्वयं के द्वारा संचालन न कर उक्त उचित मूल्य दुकान को अन्तरण किया गया है । डीलर द्वारा दुकान पर स्टॉक मूल्य सूची बोर्ड का प्रदर्शन नहीं किया जाना पाया गया तथा वक्त निरीक्षण प्राधिकार पत्र व दुकान का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया । पैरोकार रसद द्वारा अपनी बहस में यह भी निवेदन किया है कि डीलर द्वारा प्रस्तुत जबाव में उसके विरूद्ध लगाये गए आरोपों को खारिज करने योग्य कोई युक्ति संगत तर्क नहीं दिया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है ।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया । तहत पत्रावली में संलग्न जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त डीलर के विरूद्ध मौंके पर अपीलान्ट डीलर का उपस्थित नहीं होना पाया जाना, दुकान पर अंकित मोवाइल नम्बर पर सम्पर्क करने पर फोन को रिसीव नहीं करना, दुकान का स्वयं के द्वारा संचालन न कर अन्य व्यक्ति द्वारा संचालन करना तथा दुकान में मूल्य एवं स्टॉक बोर्ड का प्रदर्शित नहीं पाया जाना तथा प्राधिकार पत्र तथा नक्शा उपलब्ध नहीं कराना आदि अनियमितताऐं सम्बन्धी आरोप लगाये गए हैं। साथ ही अपनी जांच में यह भी अंकित किया है कि दुकान की भौतिक जांच में 660 कि0ग्रा0 गेंहूँ व 36 कि0ग्रा0 चीनी मिली जो पोस मशीन से प्रदर्शित स्टॉक के अनुसार ही पाई गई ।

....3

तहत न्यायालय का यह आरोप कि प्रकरण की तारीख पेशी पर डीलर का स्वयं के द्वारा उपस्थित नहीं होना,स्वीकार योग्य नहीं क्योंकि तहत पत्रावली की आदेशिका पर स्वयं डीलर के हस्ताक्षर हो रहे हैं। इसके अलावा तहत न्यायालय द्वारा डीलर के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस का जबाव भी डीलर द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका युक्तियुक्त कोई खण्डन नहीं किया गया है ।

हालांकि वक्त जांच डीलर मौके पर मौजूद नहीं मिला । दुकान पर स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड का भी प्रदर्शन नहीं होना पाया गया । डीलर को चेतावनी दी जाती है कि वह भविष्य में स्टॉक व वस्तुओं की मूल्य सूची बोर्ड नियमित रूप से दुकान पर प्रदर्शित करे एवं प्राधिकार पत्र नक्शा , यूनिट रजिस्टर, खाद्य सुरक्षा सूची व आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर आदि का रिकॉर्ड दुकान पर हमेशा उपलब्ध रखे और नियन्त्रित वस्तुओं का वितरण स्वयं के द्वारा ही किया जावे ।

उपरोक्त विवेचन से अपीलांट के विरूद्व आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं पाये गए हैं और ना ही उसके खिलाफ राशन सामग्री की कालाबाजारी किया जाना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि जब्त किये जाने की पारित की गई आज्ञा उचित प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपीलाधीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अपीलांट की प्रतिभूति राशि जब्ती आदेश को यथावत रखते हुए प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना उचित पाते हैं। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 07.02.2020 में से प्राधिकार पत्र निरस्ती का आदेश अपास्त किया जाता है तथा प्रतिभूति राशि जब्ती का आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि अपीलांट से प्रतिभूति राशि जमा करायी जाकर डीलर की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 23.09.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर